"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 5 फरवरी 2013—माघ 16, शक 1934

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2013

आदेश

क्रमांक 994/389/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (सन् 1984 का सं. 66) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सहमति से, सारिणी के खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को उक्त सारिणी के खण्ड (3) में विनिर्दिष्ट कुटुम्ब न्यायालय का न्यायाधीश पदस्थ करता है. उन्हें निर्देशित किया जाता है कि संबंधित कुटुम्ब न्यायालय में पदभार ग्रहण करें.

स. क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	श्री गोविन्द कुमार मिश्रा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग.	प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग.
2.	श्रीमती कांता मार्टिन, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग.	द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग.

Raipur, the 2nd February 2013

ORDER

No. 994/389/XXI-B/C.G./2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Family Court Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, hereby, in concurrence with the High Court of Chhattisgarh, appoints the following members of Higher Judicial Service specified in column No. (2) of the Schedule, as Judge of the Family Court specified in column No. (3) of the said schedule. They are directed to take over the charge in the said Family Court.

S. No.	Name of Judicial Officer with Present place of posting	Name of the Court
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Govind Kumar Mishra, II Additional Principal Judge, Family Court Durg.	I Additional Principal Judge, Family Court, Durg.
2.	Smt. Kanta Martin, III Additional Principal Judge, Family Court, Durg.	II Additional Principal Judge, Family Court, Durg.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामन्तराय, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.